के कुल कितने अस्थाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक कर्मचारी ने कितना-कितना सेवा काल पूरा किया है ; और

(ग) उन्हें कितने समय में स्थाई बना दिया जाएगा ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 4353।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि जब भी स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होंगी, अस्थायी कर्मचारियों को स्थाई कर दिया जाएगा।

विवरण

चतुर्थ श्रेणी के अस्थाई कर्मचारियों की संख्या और नई दिल्ली नगर पालिका में उनके द्वारा की गई सेवाकाल के वर्षवार ब्यौरों का विवरण

वर्ष	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या
1	2
1962	6
1964	3
1965	25
1966	20
1967	5
1968	8
1969	8
1970	66
1971	98
1972	173
1973	391
1974	426
1975	499
1976	270
1977	414
1978	553
1979	239
1980	226
1981	196
1982	428
1983	107
1984	192
	4353

बिना परीक्षण की गई कृमिनाशी दवाइयों का भारत में आयात

3121. श्री छोटू भाई वासवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ऐसी कीटनाशी

और कृमिनाशी दवाइयों के आयात के मामलों की ओर दिलाया गया है जितना किसी भी देश में परीक्षण नहीं किया गया है लेकिन उनका परीक्षण भारत में पशुओं तथा मनुष्यों पर किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की अनियमित गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कीटनाशी गुणों का परीक्षण करने के आशय से मंगाए जाने वाले रसायनों, जिसे कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, की थोड़ी मात्रा का जांच, विश्लेषण, परीक्षण अथवा प्रयोग हेतु, सरकार की आयात नीति के अनुसार भारत सरकार के वनस्पति रक्षण सलाहकार की अनुमति से भारत में आयात किया जा सकता है। कीटनाशी अधिनियम की अनुसूची में पहले से शामिल किए गए रसायनों के मामले में कीटनाशी अधिनियम 1968 के तहत गठित की गई पंजीकरण समिति की अनुमति की जरूरत होती है। सक्षम प्राधिकारी प्रयोगशालाओं में पशुओं पर उन रसायनों की मुखवर्ती तथा त्वचीय विषाक्तता से सम्बन्धित विदेशी आंकड़ों की जांच करने के पश्चात तथा इस बात का पता लगाकर कि क्या उक्त रसायन का निर्माण करने वाले देश में इसके विनिर्माण, बिक्री, वितरण आदि की अनुमति है, विशिष्ट उद्देश्य जिसके लिए कि रसायन की आवश्यकता है, उन फसलों/कीड़ों जिनके सम्बन्ध में रसायन की जांच किए जाने का प्रस्ताव है, उन संस्थानों का नाम जहां इसका परीक्षण किया जाना है, उस व्यक्ति का नाम तथा पदनाम जिसके निरीक्षण में परीक्षण किए जाने हैं, आदि की जांच करने के पश्चात् इसके आयात की अनुमति देता है। सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उपरोक्त अपेक्षित तथ्यों के बारे में पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हो जाने पर ही इनके आयात की अनुमति दी जाती है।

(ग) जहां कहीं भी अनियमितताएं जानकारी में आयेंगी सम्बन्धित प्रावधानों के तहत उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

नदियों का भू-स्तर और गाद बढ़ जाने के कारण उत्पादन की हानि

3122. श्री राम लाल राही : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नदियों में गाद और भू-स्तर बढ़ जाने के कारण जलमग्न क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप एक ओर तो सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खर्च करती है तथा दूसरी ओर लाखों टन उत्पादन की हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बाढ़ के प्रकोप के कारण खर्च की गई धनराशि तथा उत्पादन में हुई हानि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ सिंह) : (क) ऐसा कोई निर्णयात्मक तथा वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है कि जिससे सामान्यतः यह स्थापित हो कि बाद भरने के कारण नदियों का भू-स्तर बढ़ रहा है और इसके फलस्वरूप जलमग्न होने वाले क्षेत्र में वृद्धि हो रही है।

(ख) पांचवीं तथा छठी योजनावधि के दौरान बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के अन्तर्गत हुआ व्यय निम्नवत् है :—

(करोड़ रुपए)

पांचवीं योजना (1974-78)	298.60
छठी योजना (1980-85)	
(1) 1980-81 (वास्तविक)	156.40
(2) 1981-82 (वास्तविक)	163.19
(3) 1982-83 (वास्तविक)	146.92
(4) 1983-84 (संभावित)	164.30